न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान

जमानत आवेदन सं0 453/2026

गोरियाकोठी थाना कांड सं0– 86/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा– 126(2),115(2),118(2),351(2),109,352,308(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता

भोला सिंह ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य,. द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री विकाश कुमार, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

27.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, गोरियाकोठी थाना कांड संख्या 86/2026, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(2),351(2),109,352,308(3),3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह दिनांक 10.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

प्रसंगिक मामला संक्षेप में, यह है कि दिनांक 09.04.2026 को समय करीब 3.00 बजे शाम मे सूचिका अपने घर पर बैठी थी। तभी सूचिका की बड़ी बहु 1. मनोज देवी, 2. भोला सिंह, 3. विशाल कुमार एवं 4, श्वेता कुमारी सभी अपने–अपने हाथ में रड, डंडा, तेज धारधार चाकू लेकर सूचिका एवं सूचिका की छोटी बहु मनिता देवी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगे। सूचिका का बेटा भोला सिंह अपने हाथ मे लिये रड से सूचिका के सिर पर जान मारने के नियत से वार किया जिससे सूचिका का सर फट गया और सूचिका लहुलुहान हो गयी। मारपीट के क्रम में जब सूचिका की छोटी बहु मनिता देवी को बचाने सूचिका की पोती श्वेता कुमारी आई तो भोला सिंह ने अपने हाथ मे लिये धारधार चाकु से वार कर दिया जिसमें सूचिका की छोटी बहु का हाथ कट गया और खून गिरने लगा। इसी बीच मनोज देवी अपने बहन के घर से भुअर कुमार एवं दो अन्य अज्ञात व्यक्ति को बुलाकर मारपीट करवाने लगी जिसमे सूचिका का पोता अनमोल सिंह एवं पोती खुशी कुमारी जख्मी हो गये। मारपीट का मुख्य कारण सूचिका की बड़ी बहु को पता चला कि सूचिका अपना सारा जमीन अपनी छोटी बहु को लिखने वाली हैं। इसी वजह से सभी लोग मारपीट कर सूचिका के लोगों को जख्मी कर दिये और धमकी भी दे रहे है कि तुमलोगों को जान से मार देंगें। ग्रामीणों द्वारा 112 डायल पुलिस को काल करके बुलाया गया। पुलिस द्वारा सूचिका के लोगों को जान बचाते हुए गोरियाकोठी अस्पताल ले जाया गया जहॉ सूचिका एवं अन्य लोंगों का ईलाज हुआ।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष हैं और उसने कोई अपराध नहीं किया हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से जिला न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं हैं और वह कभी जेल नहीं गया हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी हैं और आरोप अस्पष्ट हैं। आवेदक एवं सूचिका करीबी पटट्ेदार हैं और दोनों के बीच भूमि विवाद हैं। आवेदक अपने परिवार के साथ नई दिल्ली में रह रहा हैं। आवेदक कि बेटी का विवाह समारोह दिनांक 27.04.2026 को तिलक के रूप में और विवाह समारोह दिनांक 01.05.2026 को निर्धारित किय गया हैं और विवाह के शुभ अवसर पर आवेदक अपने पूरे परिवार के साथ आया था। इस मामले में धारा 109, 118(2), एवं 308(3) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त यह वचन देतें हैं कि जब भी न्यायालय द्वारा आवश्यकता होगी, वह प्रत्येक तिथी पर शरीरिक रूप से उपस्थित रहेंगें। आवेदक/अभियुक्त इस विद्वान न्यायालय के संतोष के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः उसकी ओर से दाखिल आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, गोरियाकोठी थाना कांड संख्या 86/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 351(2), 109, 352, 308(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह पर यह आरोप है कि उसने सूचिका एवं सूचिका की छोटी बहु मनिता देवी के साथ मारपीट एवं गाली–गलौज करने तथा सूचिका के सर पर रड से प्रहार करने के संदर्भ में अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें सभी जख्मीयों के जख्म कि प्रकृति को साधारण प्रकृति का पाया गया हैं। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह के विरूद्व कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है जो कांड दैनिकी के कंडिका संख्या– 23 में उल्लेखित हैं। आवेदक एवं सूचिका करीबी पटट्ेदार हैं और दोनों के बीच भूमि विवाद हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह दिनांक 10.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में एवं काराधीन आवेदक/अभियुक्त भोला सिंह दिनांक 10.04.2026 से काराधीन है एवं उनका कोई पूर्व भी आपराधिक इतिहास नहीं हैं। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार विद्वान ए.सी.जे.एम.– अष्टम्, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियॉ दी जायेगी।

लेखापित
ह0/–
(मोनिषा सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सिवान